

FORM No.III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....

सरकार जरिये तहसीलदार बेगू बनाम ..... जे.म. व.स. ....

करम मुकदमा ..... नं० ..... 79/19 ..... सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
01.07.2019  12.7.19	<p>वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल. आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र क्रमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली आज पेश हुई।</p> <p>भूमिधारी तहसीलदार व सभी पक्षकार उपस्थित। सभी पक्षकारों ने अपनी-अपनी भूमि में हिस्से नहीं होने से बताया कि उनके सभी यह खातेदारों ने आपसी सहमती से हिस्से बताये जो निम्न है सत्यमेव जयते</p> <p>ग्राम बानोरा की आराप्ती नं. 396, 397, 398, 409 किता - 5 रकबा 0.17 है भूमि में जे.म.व.स. पिता गोपी का हिस्सा 1/16 कालू का हिस्सा 1/16</p>	<p>सोहनलाल न.पुलक</p> <p>चक्रवर्ती</p> <p>मोहन</p> <p>बेरेन</p> <p>रामेश्वर</p> <p>गोपाल कृष्ण</p> <p>नि. लपनबाई</p> <p>नि. रामीबाई</p> <p>नि. कमली</p>

राधू का हिस्सा  $\frac{1}{16}$  पिता गोला धाधु पुत्री रामचन्द्र का  
हिस्सा  $\frac{1}{16}$  नाथु पिता देवी का हिस्सा  $\frac{1}{80}$  सोसर का हिस्सा  
 $\frac{1}{80}$  मौल्या का हिस्सा  $\frac{1}{80}$  गट्टू का हिस्सा  $\frac{1}{80}$  पुत्री देवी.  
सत्यनारायण का हिस्सा  $\frac{1}{40}$  लालचन्द्र का हिस्सा  $\frac{1}{40}$  पिता  
प्यारचन्द्र चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा  $\frac{1}{20}$  रतना का  
हिस्सा  $\frac{1}{120}$  मोहन का हिस्सा  $\frac{1}{120}$  कमली का हिस्सा  $\frac{1}{120}$   
रुक्रमणी का हिस्सा  $\frac{1}{120}$  भुली का हिस्सा  $\frac{1}{120}$  पिता भुरा  
जगदी बेषा भुरा का हिस्सा  $\frac{1}{120}$  गोपाल का हिस्सा  $\frac{1}{60}$  शोभाबाष  
का हिस्सा  $\frac{1}{60}$  पिता बालु रामी बेषा बालु का हिस्सा  $\frac{1}{60}$   
कमली बेषा इकार का हिस्सा  $\frac{1}{4}$  रामेश्वरलाल का हिस्सा  $\frac{1}{12}$   
रुमानाई का हिस्सा  $\frac{1}{12}$  पिता रुन्डेपालाल हीरीबाई पत्नी  
रुन्डेपालाल का हिस्सा  $\frac{1}{12}$  दयोग साठेद खातेदार हमने घट  
हिस्से व खातेदारी द्वारा ब्यापे गये हिस्से भूमि भूमि  
में ब्या गया भूमि उन्ने भी इसी हिस्से पर  
सहमति प्रकट की गरी।

मतः सह खातेदारी की सहमति व  
तहसीलदार बेगू की रिपोर्ट व 32 LRMP के तहत माननीय  
राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश (परिपत्र) डमाड (BR)  
LR) NLRMPF- 126 पार्ट- 2 110164 - 96 दिनांक 26.9.2017  
के अनुसार उनसे पूर्व वर्णित हिस्से के अनुसार खातेदारी  
घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया  
जाकर पत्रावली के साथ सुमार होकर नम्बर से रफ  
है।

सहायक कमिश्नर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
बेगू (चितीइकर) 19  
2

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)  
दावा संख्या : 79/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ़

.....वादी

बनाम

1. प्रेमबाई पिता गोपी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
2. कालु पिता दोला निवासी बानोडा तह0 बेगू
3. राजु पिता दोला निवासी बानोडा तह0 बेगू
4. धापु पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
5. नाथू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
6. सोसर पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
7. मोत्या पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
8. गट्टू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
9. सत्यनारायण पिता प्यारचंद दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
10. लाभचन्द पिता प्यारचंद दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
11. चुन्नीलाल पिता गोविन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
12. रतना पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
13. मोहन पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
14. कमली पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
15. रूकमणी पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
16. भूली पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
17. जडाई बेवा भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
18. गोपाल पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
19. शोभालाल पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
20. रामी बेवा बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
21. कमली पत्नि उंकार दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
22. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
23. रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
24. हीरी बाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
25. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
26. रूकमा बाई पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू
27. हीरी बाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगू



.....प्रतिवादीगण

1. उपरिथत : तहसीलदार, बेगू  
पैरोकार वादी  
प्रतिवादीगण सं. 1 से 27

निर्णय दिनांक : 12.07.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रादली को कैम्प

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
बेगू (चित्तौड़गढ़)

कोर्ट जयनगर पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 12.07.2019 को सभी काशतकार उपस्थित आये।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगू द्वारा उनके पत्रांक 1227 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम बानोडा में खाता संख्या 94 संवत् 2071-74 में दर्ज आराजी नं. 396.397,398, 409 किता-4 रकबा 0.17 हैक्टर भूमि श्री प्रेमबाई पिता गोपी कालू राजू पिता दोला वगैरह जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड होकर उक्त खाते में हिस्स दर्ज नहीं है। अतः वादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली को दिनांक 12.7.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर रखाया गया। सभी पक्षकारान उपस्थित आए। पक्षकारो को सुना गया। प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा ग्राम बानोडा में वाद वर्णित आराजी किता 4 रकबा 0.17 हैक्टर भूमि उनकी सामलाती पैतृक भूमि है एवं चम्पालाल जी के वारिसान चार पुत्रो गोविन्द, दोला, रतना, चंदन पिता चम्पालाल के नाम से दर्ज हुई है। जिसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। गोविन्द, दोला, रतना व चंदन फोट होने से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए है। भैरू पिता नंदा, काली पिता नंदा, राधा पत्नि नंदा, द्वारा स्वयं का निहित हिस्सा का बेचान जो 1/8 है रामेश्वर, रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयालाल को किया है। कोर्ट कैम्प में सजरा बनाया जाकर सजरे में पक्षकारो के बताए मुताबिक खातेदारो के हिस्से दर्ज किये गये, सजरे में दर्ज हिस्से घोषित करवाने हेतु सभी प्रतिवादीगण सहमत हुए है।

रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। सेटलमेन्ट रिकोर्ड में वाद वर्णित आराजी किता 50 रकबा 7.60 हैक्टर श्री गोविन्द, दोला, रतना पिता चम्पा, नंदा काना पिता चंदन दरोगा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। विरासत से नामान्तरण सं. 11 से दोला के बजाय गोपी कालू रामचंद्र राजू पिता दोला, नामा.सं. 12 से रतना के बजाय उंकार पिता रतना, ना.सं. 361 से गोविन्द के बजाय देवी मोडा चुन्नीलाल भूरा बालू पिता गोविन्द, ना.सं. 206 से नंदा के बजाय भैरू काली पिता नंदा राधा पत्नि नंदा, नामा.सं. 170 से देवी के बजाय नाथू पिता देवी, सोसर मोत्या गट्टू पिता देवी नन्दु पत्नी देवी मोडा के बजाया सोहनी पिता मोडा भुरा के बजाय रतना मोहन पिता भुरा कमली रूकनणी मुली पिता भुरा जडाई बेवा भुरा बालु के बजाय गोपाल सोहन पिता बालु कंचनी पिता बालु रामी पत्नी बालु गोपी के बजाय गीता प्रेम पिता गोपी मोडी बाई पत्नी गोपी रामचन्द्र के बजाय धापु पिता रामचन्द्र उंकार के बजाय कमली पत्नी उंकार नामा0 सं0 272 से सोहनी पिता मोडा के बजाय सत्यनारायण लाभचन्द पिता प्यारचंद, नामा.सं. 343 से भैरू, कालो पिता नंदा, राधा पत्नि नंदा ने अपना निहित हिस्सा 1/8 का बेचान रामेश्वरलाल, रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल, हीरीबाई पत्नि कन्हैयालाल को किया है। नामा0 सं0 668 काना पिता चन्दन के बजाय रामेश्वरलाल रूकमा बाई पिता कन्हैयालाल हीरी बाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल दर्ज हुआ है। मजमेआम में सजरा अनुसार खातेदारों के हिस्से की जानकारी की गयी। जिससे यह जगहिर शर्त की वाद वर्णित आराजी किता 4


सहायक जज (उपस्थित अधिकारी)  
श्री गुरु (पिपरीडगढ़)

रकवा 0.17 है0 सामलाती आराजी है। उक्त आराजी चम्पालाल जी की होकर उनके चार पुत्रों गोविन्द दोला रतना चन्दन पिता चम्पा के नाम दर्ज हुये है। जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4 बनता है जो सही है। अतः मजमे आम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारों की सहमती से मौजा बानोडा की आराजी किता- 4 रकवा 0.17 हैक्टर भूमि के हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा की आराजी नं. 396,397,398, 409 किता-4 रकवा 0.17 हैक्टर भूमि में प्रेमबाई पिता गोपी का हिस्सा 1/16 कालू का हिस्सा 1/16 राजू का हिस्सा 1/16 पिता दोला , धापु पुत्री रामचन्द्र का हिस्सा 1/16, नाथु पिता देवी का हिस्सा 1/80, सोसर का हिस्सा 1/80, मोत्या का हिस्सा 1/80, गट्टू का हिस्सा 1/80 पुत्री देवी, सत्यनारायण का हिस्सा 1/40 लाभचन्द्र का हिस्सा 1/40 पिता प्यारचन्द, चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20 रतना का हिस्सा 1/120 मोहन का हिस्सा 1/120 कमली का हिस्सा 1/120 रुकमणी का हिस्सा 1/120 भूली का हिस्सा 1/120 पिता भुरा, जडाई बेवा भुरा का हिस्सा 1/120, गोपाल का हिस्सा 1/60, शोभालाल का हिस्सा 1/60 पिता बालु, रामी बेवा बालु का हिस्सा 1/60, कमली बेवा उँकार का हिस्सा 1/4, रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/12 रुकमाबाई का हिस्सा 1/12 पिता कन्हैयालाल, हीरी बाई पत्नी कन्हैयालाल का हिस्सा 1/12 दरोगा साकिन देह खातेदार रहन बदस्तूर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर लिखाया जाकर सुनाया गया।


  
12-7-19  
(रमेश चन्द्र प्रसाद)  
सहायक कलेक्टर (सहकार) अधिकारी  
बेगू (पितादिमर)



1/80, सोसर का हिस्सा 1/80, मोत्या का हिस्सा 1/80, गट्टू का हिस्सा 1/80 पुत्री देवी, सत्यनारायण का हिस्सा 1/40 लाभचन्द्र का हिस्सा 1/40 पिता प्यारचन्द, चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20 रतना का हिस्सा 1/120 मोहन का हिस्सा 1/120 कमली का हिस्सा 1/120 रुकमणी का हिस्सा 1/120 भूली का हिस्सा 1/120 पिता भुरा, जडाई बेवा भुरा का हिस्सा 1/120, गोपाल का हिस्सा 1/60, शोभालाल का हिस्सा 1/60 पिता बालु, रामी बेवा बालु का हिस्सा 1/60, कमली बेवा उँका का हिस्सा 1/4, रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/12 रुकमाबाई का हिस्सा 1/12 पिता कन्हैयालाल, हीरी बाई पत्नी कन्हैयालाल का हिस्सा 1/12 दरोगा साकिन देह खातेदार रहन बदस्तूर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिकी तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिकी आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

  
(रमेश्वर लाल पुनाडिया)  
सहायक कलेक्टर (अपेण्डेन्ट) अधिकारी)  
बेगू जिला पंचसतडी

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगू को पालनार्थ प्रस्तुत है।